निग — 1177-पीबीआर-16

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल म0प्र0

प्र. क्रं. निगरानी / /16

श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नी श्री हरीश अग्रवाल
निवासी चूना भट्टी तहसील हुजूर जिला भोपाल ...... आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी श्री नारायणदास
2. अनुपम अग्रवाल आ0 स्व0 श्री नारायणदास

निवासीगण मकान न0 134 / 4 बुन्देलखण्ड मोटर टांर्सपोर्ट कम्पनी के पीछे जवाहर रोड बस स्टैण्ड के पास छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 ...... अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण कमांक 364 / अपील / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 12 / 06 / 15 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

श्री .... द्वारा आज दि. .... को

.. पलटना पृष्ठ ..

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 1177 –पीबीआर/2016 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.4.16	आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के एक साक्षी विनीत खरे गम्भीर रूप से बीमार होकर चलने फिरने में असमर्थ है, अतः कमीशन नियुक्त कर उसके साक्ष्य लिये जाने चाहिये थे, इस हेतु उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है कि आवेदिका के खर्चे पर गम्भीर रूप से बीमार विनीत खरे के साक्ष्य लिये जाने हेतु कमीशन नियुक्त किया जाये। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	